UPMO0010021892023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, मुरादाबाद ।

पीठासीन अधिकारी–(सुरेन्द्र कुमार)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा)**

(I.D. No.-UP02401)

दाण्डिक निगरानी संख्या–58/2023

रणवीर सिंह पुत्र श्री मित्रपाल सिंह,
निवासी–म0नं0–2/765 बुद्धि बिहार आवास विकास कॉलोनी मझोला, मुरादाबाद।

..... **निगरानीकर्ता।**

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा डी0जी0सी0(क्रिमिनल), मुरादाबाद।

..... **विपक्षीगण।**

–: निर्णय :–

(1)– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता ने विपक्षी के विरूद्ध न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–3 मुरादाबाद द्वारा परिवाद सं0–35938/2022 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.01.2023 के विरुद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के द्वारा अभियुक्तगण श्रीमती विद्यावती, विकास कुमार आजाद, अमित कुमार, गंगाराम, राजकुमार व रामस्वरूप कमल को धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए तलब किया गया है।

(2)– संक्षेप में परिवाद संख्या–35938/2022 के तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थी वर्तमान में कार्यालय सम्भागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी (खाद्य) मुरादाबाद सम्भाग, मुरादाबाद में सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी के निवास स्थान म0सं0–2/755 बुद्ध विहार, थाना मझोला, मुरादाबाद पर दिनांक 19.09.2021 को अमित कुमार आजाद, राजेश कुमार, गंगाराम, राजकुमार, रामस्वरूप कमल आये। सभी ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह अपने परिवार की लड़की की शादी हेतु प्रस्ताव लाये हैं। उपरोक्त सभी लोगों ने अनुराधा गौतम नाम की लड़की को अपना रिश्तेदार बताया तथा उसका बायोडाटा भी दिखाया। प्रार्थी तथा उसके परिजनों ने लड़की को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने की इच्छा व्यक्त की तथा उसके घर परिवार को देखने की बात कही। उपरोक्त सभी लोगों ने एकराय होकर प्रार्थी व प्रार्थी के परिजनों से बात पर सहमति प्रकट की तथा शीघ्र ही लड़की को व्यक्तिगत रूप से दिखाने का आश्वासन दिया। प्रार्थी भी इन लोगो की बातों से संतुष्ट हो गया तथा घर आये मेहमानों का काफी आदर सतकार करके विदा किया। उपरोक्त सभी लोगों के वापस जाने के उपरान्त दिनांक 19.10.2021 को अचानक मोबाइल नं0–8076910079 से प्रार्थी के मोबाइल नम्बर–9410010725

पर कथित अनुराधा गौतम के भाई विकास कुमार आजाद का समय करीब दिन के 12:30 बजे फोन आया तो विकास ने कहा कि 2,50,000/– रूपये हमें दो। प्रार्थी द्वारा मांग का विरोध करने पर प्रार्थी व प्रार्थी के परिजनों को मां–बहन की गन्दी–गन्दी गालियां देने लगा और कहा कि सालों तुम रिश्ता जोड़ने लायक नहीं हो तथा तुम्हारा स्तर बहुत नीचा है। हम बहुत उच्च स्तरीय लोग हैं, तभी फोन लेकर विकास की मां श्रीमती विद्यावती ने भी कहा कि ढाई लाख दो। तुम बहुत गिरे नीच प्रवृत्ति के लोग हो, मैं तुम्हे सबक सिखाऊँगी। उपरोक्त अभियुक्तगण ने योजनावद्ध होकर सोची समझी साजिश के तहत प्रार्थी व उसके परिजनों को विश्वास में लेकर छलकपट धोखाधडी से अपने जाल में फंसा लिया और प्रार्थी व उसके परिजनों को ब्लैकमेल करके अवैध धन वसूली करना चाहते हैं। अभियुक्तगण के कृत्य से प्रार्थी व उसके परिजनो की काफी मानहानि हुई है तथा समाज में इन लोगों के व्यवहार से प्रार्थी व उसके परिजनो की छवि धूमिल हुई है। अभियुक्तगण का यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा–420, 384, 504, 506, 120 बी, 500 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2021 को थाना मझोला में शिकायत की तथा दिनांक 25.10.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को प्रार्थना पत्र दिया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(3)– विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी के बयान अंतर्गत धारा–200 दं0 प्र0 सं0 तथा पी0 डब्लू0–1 सुखवीर व पी0 डब्लू–2 मित्रपाल सिंह के बयान अंतर्गत धारा–202 द0 प्र0 सं0 अंकित किये गए। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के उपरोक्त अभिकथनों तथा परिवादी के बयान अंतर्गत धारा–200 तथा पी0 डब्लू0–1 व 2 के बयानों अंतर्गत धारा–202 द0 प्र0 सं0 के आधार पर अभियुक्तगण श्रीमती विद्यावती, विकास कुमार आजाद, अमित कुमार, गंगाराम, राजकुमार व रामस्वरूप कमल को धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता में आदेश दिनांकित 06.01.2023 के द्वारा तलब किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गई है।

(4)– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि:– विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.01.2023 विधि विरूद्ध एंव निराधार है, प्रत्येक दशा में निरस्त होने योग्य है। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा 200 सी0 आर 0 पी0 सी0 एंव 202 सी0 आर 0 पी0 सी0 के बयानों में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि अभियुक्तगण द्वारा अवैध धन 2,50,000/– रुपये की मांग की गयी है, इसलिए विद्वान अवर न्यायालय को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–504 आई 0 पी0 सी0 के साथ साथ धारा–384 आई 0 पी0 सी0 में भी तलब करना चाहिए था। धारा 200 सी. आर.पी.सी. में रिवीजनकर्ता एंव 202 सी0 आर 0 पी0 सी0 में सुखवीर सिंह एंव मित्रपाल सिंह के बयान विद्वान अवर न्यायालय अंकित कराये गये है, किन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने बयानों को गम्भीरता पूर्वक नहीं पढ़ा और प्रश्नगत तलबी आदेश सरसरी तौर पर पारित कर दिया जो कि एक विधिक त्रुटि है। विद्वान अवर न्यायालय ने विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों का पालन नहीं किया है, जबकि माननीय उच्चतम एंव उच्च न्यायालय ने समय समय पर अपनी विधि व्यवस्थाओं में स्पष्ट किया है कि मजिस्ट्रेट को तलबी आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का बहुत सर्तकता के साथ परिशीलन करना चाहिए। रिवीजनकर्ता के मुकदमें में प्रथम दृष्टया अन्तर्गत धारा

384, 504, 506 आई.पी.सी. का अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध गठित होता है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 06–01–2023 को खारिज कर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करने की याचना की गयी है।

(5) मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) की बहस को सुना एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सम्यक रूपेण अवलोकन किया।

(6)– विपक्षी की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.01.2023 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

(7)– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 06.01.2023 को निरस्त कर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की है।

(8)– विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण अमित कुमार आजाद, राजेश कुमार, गंगाराम, राजकुमार, रामस्वरूप दिनांक 19.09.2021 को परिवादी/निगरानीकर्ता के घर अनुराधा गौतम नाम की लड़की की शादी का प्रस्ताव लेकर आये थे तथा उनके द्वारा उक्त लड़की का बायोडाटा भी दिखाया गया था। परिवादी/निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र के साथ उक्त लड़की का कोई बायोडाटा संलग्न नहीं है। इसके पश्चात् निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 19.10.2021 को विकास कुमार तथा उसकी माता विद्यावती द्वारा ढाई लाख रूपये की मांग की गयी तथा गाली गलौच की गयी। परिवादी/निगरानीकर्ता द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उक्त ढाई लाख रूपये उनके द्वारा किसी उद्देश्य के लिए मांगे गये थे। इसके अलावा, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी/निगरानीकर्ता द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि दिनांक 19.09.2021 से 19.10.2021 तक, एक महीने तक अभियुक्तगण तथा परिवादी व उसके परिवारजन के मध्य कोई बातचीत, सम्पर्क या कोई लेन–देन हुआ या नहीं। परिवादी/निगरानीकर्ता द्वारा तथाकथित कॉल की रिकॉर्डिंग भी न्यायालय में दाखिल नहीं की गयी है। इस प्रकार परिवादी/निगरानीकर्ता द्वारा 2,50,000/– रूपये की मांग के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्यों के आधार पर गन्दी गन्दी गाली देने के तथ्य की पुष्टि को मानते हुए प्रथम दृष्टया अपराध कारित होना जाना प्रतीत कहते हुए अभियुक्तगण श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व 0 श्री कृष्ण कुमार, विकास कुमार आजाद पुत्र श्री कृष्ण कुमार, अमित कुमार, गंगाराम, राजकुमार व रामस्वरूप कमल को अन्तर्गत धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता के तहत तलब किया गया है। इस प्रकार पुनरीक्षण न्यायालय की राय में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 06.01.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 06.01.2023 पुष्ट किया जाकर, प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता रणवीर सिंह की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–58/2023 निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी संख्या–35938/2022 में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 06.01.2023 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि, इस आदेश की एक प्रति, विद्वान अवर न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ, नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दाण्डिक निगरानी संख्या–58/2023 की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 10.09.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 10.09.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।